संख्या- 15 /2017/ 768 /29-5-2017-30-(1)/15

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषयः- के0एम0एस02017-18 हेतु बोरों के क्रय के लिये अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2564/अ0आ0(वि0/739-बोरा-ख0वि0व0/2017-18 दिनांक 12 जून, 2017 एवं पत्रांक-ले0शा0/729/177/4408-बजट/2017-18 दिनांक31 जुलाई, 2017 के क्रम में के0एम0एस0 2017-18 में जूट कमिशनर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से 100000.00 (एक लाख) मात्र गांठ जूट बोरों (50 किलो ग्राम की भर्ती) को नियमानुसार क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 763/29-5-2017-30(1)/2015 दिनांक 21 अगस्त 2017 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय 100000.00 (एक लाख) मात्र गांठ जूट बोरों के नियमानुसार क्रय किये जाने के प्रयोजनार्थ जूट कमिश्नर, कोलकाता को भुगतान करने के लिये परिवहन व्यय सहित रू0 29,465.81/-प्रति गांठ निर्धारित दर से धनराशिरू0 2,94,65,81,000/00 (रू0 दो अरब चौरान्नवे करोड़ पैसठ लाख इक्यासी हजार) मात्र के अग्रिम आहरण की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्तांकित अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 तथा शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा। उपरोक्त आहरित किये जा रहे अग्रिम के विरूद्ध नियमानुसार गांठों की आपूर्ति परिवहन व्यय के आधार पर अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

(2) दिनांक 31-03-2017..तक उक्त स्वीकृत अग्रिम धनराशि का नियमानुसार व्यय/ समायोजन सुनिश्चित किया जाय तथा पूर्व के अवसर/अवसरों पर आहरित का नियमानुसार समायोजन, गांठ बोरों की आपूर्ति/भण्डारण/उपयोग की सुदृढ़ व्यवस्था तथा जिन मामलों में आंतरिक सम्प्रेक्षा द्वारा अनियमितताएं पाई गयी है उनमें नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाये व शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति भी कराते हुए रिपोर्ट शासन को उक्त निर्धारित सीमा तक अवश्यक उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) वित्त नियंत्रक द्वारा आंतरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग के अवलोकनार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

(4) आवश्यकतानुसार बोरों की संख्या एवं दरों का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा। इण्डेन्ट आदि की कार्यवाही आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चत कराते हुये शासन को भी अवगत कराया जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक 4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागार पर पूजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43 सामग्री और सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- एफ-1-1265/दस-2017, दिनांक 25 अगस्त, 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गया प्रसाद कमल)
विशेष् सचिव।

<u>संख्या- 15 /2017/768(1)/29-5-2017-30-(1)/15 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव भारत सरकार, उपभोक्त मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली
2-महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय,5 संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
3-महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4-जूट आयुक्त, भारत सरकार,वस्त्र मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स तृतीय एम0एस0ओ0 भवन सेक्टर-1 साल्टलेक सिटी कोलकाता।
5-अपर आयुक्त, (विपणन)खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6-वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(गया प्रसाद
कमल)
विशेष सचिवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in